



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 1656 /Type Approval No.1656**

**मद/FOR ITEM:** थर्मोकपल कंडीशनिंग यूनिट, पार्ट सं.आईक्यू286201-0100

**"Thermocouple Conditioning Unit", Part No. iQ286201-0100.**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स आईक्यू इनफोटेक लिमिटेड, #134/ए, दूसरी मंजिल, तीसरा क्रॉस, 6 मैन रोड, दूसरा स्टेज इंडस्ट्रियल सबर्ब, यशवंतपुर, बेंगलूरु - 560 022 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित **थर्मोकपल कंडीशनिंग यूनिट** पार्ट सं. आईक्यू **286201-0100** को जीए आरेखन सं. आईक्यू-टीसीयू-आईएसओ\_व्यू-0903-00, इश्यू-01, दिनांक 01/09/2003 के अनुसार जगुआर वायुयान में उपयोग हेतु, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद **आर.सी.एम.ए (वायुयान)** के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. आईक्यू/टीसीयू/स्पेक-टीएस रिविज़न सं: 00, दिनांक 01/09/2003 एवं टंस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं. आईक्यू/टीसीयू/स्पेक-टीटीएस रिविज़न 02, दिनांक 17/06/2005 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गारिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेंट" में विवरित विनिर्देश/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Thermocouple Conditioning Unit", bearing the Part No. iQ 286201-0100" designed, developed & manufactured by M/s. iQ Infotech Ltd., # 134/A, 2<sup>nd</sup> Floor, 3<sup>rd</sup> Cross, 6<sup>th</sup> Main Road, 2<sup>nd</sup> Stage, Industrial Suburb, Yeshwantpur, Bengaluru - 560 022, is hereby approved for production as per GA Drawing Nos. iQ-TCU-ISO\_VIEW-0903-00, Issue-01, Dt.01/09/2003 for use on Jaguar aircraft. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Aircraft) as per Technical Specification DOC No. iQ/TCU/SPEC-TS REV. No:00, Dt.01/09/2003, and Test Schedule DOC No. iQ/TCU/SPEC-TTS REV. No:02, Dt.17/06/2005 It has met the requirements of the specification/Tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix- 'A'.*

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2016 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), बेंगलूरु - 560 037 से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 30<sup>th</sup> June 2016 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), Bengaluru-560 037, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लीयरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है।


*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1656

दिनांक/Date : 06 May 2011

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

  
(डॉ. के. तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)  
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /  
Chief Executive (Airworthiness)

  
05/11

  
06/05